

पत्रांक 2395
16-11-16 श्री पालक

पत्रांक 16/16
16/11/16
प्रेषक,

अंचल कार्यालय जामा (दुमका)

पत्रांक 682 / रा0

अंचल अधिकारी
जामा
सेवा में,
अपर सपाहर्ता
दुमका

जामा, दिनांक 8/11/16

विषय:- दुमका जिला में गोविन्दपुर दुमका ट्रांसमिशन लाईन हेतु अंकित दाग न0 के भूमि का किस्म एवं खाता संख्या खतियान से सत्यापन कर दर्ज करने के संबंध में ।

प्रसंग:- भवदीय पत्रांक 1254/रा0 दिनांक 2.6.16 एवं पत्रांक 1442/रा0 दिनांक 7.10.16

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंचल जामा अर्न्तगत संबंधित भौजा का बन भूमि एवं जंगल झाडी भूमि का ग्राम सभा संबंधित हल्का कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षण द्वारा करायी गई है साथ ही भूमि के किस्म एवं खाता नं0 अंकित कर दिया गया है ।

अतः संलग्न सूची में दाग नं0 के भूमि का किस्म एवं खाता संख्या खतियान से सत्यापन कर एवं ग्राम सभा की प्रति मूल में इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक:- यथोक्त

विश्वासभाजन

अंचल अधिकारी
जामा
8.11.16

श्रीवा में,

अचल अधिकारी

जामा

विषय :- दुमका जिला में गौविन्दपुर - दुमका ट्रांसमिशन लाईन
द्वारा जंगल - झाड़ी एवं वन भूमि का अन्नापत्ति तथा ग्राम सभा
कराने के संबंध में।

प्रसंग :- अपर समादल दुमका के पत्रांक 1206 दिनांक 27/08/16.
महाराष्ट्र,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयोक्त ग्रामों में
पड़ने वाले जंगल - झाड़ी एवं वन भूमि हेतु क्वाथिकार अधिनियम
2006 के अनुसार ग्राम सभा करा लिया गया है जिसका विवरण
निम्न लिखित है।

क्र. सं.	मौजा का नाम	पाना सं.	प्लॉट सं.	खाला सं.	प्रस्तावित रकबा जंगल झाड़ी (है.)	प्रस्तावित अधिसूचित वन भूमि (है.)
1.)	होवावा	26	1499/p 739/p	50 49	- -	1.1966 0.4048
2.)	दंपी डुमरीया	27	424/p 426/p	26 26	0.2495 0.1871	- -

अतः FRA तथा अन्नापत्ति हेतु सभी ग्रामों की
ग्राम सभा की मूल प्रति अग्रेतर कार्यवाही हेतु समर्पित।

धन्यवाद

अध्यापक
[Signature]

आपकी विश्वासी
राजस्व कर्मचारी
[Signature]
[Signature]

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा

220 KV गोविंदपुरा (डुमक) पारंपण लाइन

निर्माण के लिये वनाधिकार अधिनियम-2006 के अंतर्गत आज दिनांक 21/10/2016 को ग्राम

डुमक प्रखण्ड जामा जिला डुमक इलाका में ग्रामवासियों की एक सभा आयोजित की गयी जिसमें पावरग्रिड के द्वारा 220 KV गोविंदपुरा (डुमक) पारंपण लाइन निर्माण से सम्बंधित विस्तृत स्टा है चर्चा की गई। चर्चा की विवरणी निम्न है:-

1. वन भूमि अप योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों को ग्राम सभा में समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती भाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्याख्यायित कर दी गयी है।
2. ग्राम सभा में यह बात सुनिश्चित किया गया कि वन भूमि अप योजना के प्रस्ताव के संबंध में की गयी चर्चा एवं लिये गये निर्णय के समक्ष ग्राम सभा के न्यूनतम 50% सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
3. ग्राम सभा में इस बात की पुष्टि की गयी कि आदिम जनजाति सहित एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3(2) (e) के अनुसार, विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
4. ग्राम सभा में इस बात की पुष्टि की गयी कि सरकार के द्वारा दिये जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वन भूमि अप योजना का प्रस्ताव (याद गढ़े आ) के संबंध में वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (e) की धारा-3(2) (e) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गयी है।

ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पावरग्रिड के द्वारा 220KV गोविंदपुरा (डुमक) पारंपण लाइन निर्माण के लिये डुमक प्रखण्ड जामा जिला (प्लॉट संख्या

प्लॉट नं. 1499 के अंशक 1.1966 ha, प्लॉट नं. 739 के अंश 1.4048 ha अधिभूत वन भूमि

का 1.6014 हेक्टेयर वन भूमि अपयोजना के लिये अनुमति दी गई एवं इसकी पुष्टि की गई कि वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत उक्त भूमि पर किसी का दावा नहीं है।

ग्रामवासियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया कि इस परियोजना के निर्माण से किसी का विस्थापन नहीं हो रहा है और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत सुरक्षित रहेगा।

1	मिहिचन हाँसदा	राम लाल हाँसदा	मिहिचन हाँसदा
2	मोती लाल राणा	खंन राणा	Moti Lal Rana
3	नगिन्द्र हेम्ब्रम	परमेश्वर हेम्ब्रम	नागोन्ट हेम्ब्रम
4	चुन्डा हाँसदा	बुढाई हाँसदा	CHUNDA HANDE
5	शरण राणा	बामडी राणा	रावण राणा
6	रमेशल हेम्ब्रम	जगन हेम्ब्रम	रमेशल हेम्ब्रम
7	सुक लाल हाँसदा	चुन्डा हाँसदा	सुकलाल हाँसदा
8	चनई हाँसदा	देवान हाँसदा	चनई हाँसदा
9	जादू राणा	खंन राणा	जादुराना
10	सुनील मुर्मू	काबी दास मुर्मू	सुनील मुर्मू
11	जीव लाल हेम्ब्रम	सुनीन हेम्ब्रम	
12	राम लाल हाँसदा	पेक हाँसदा	
13	ठिबा हाँसदा	चाँदु हाँसदा	
14	भरिया हाँसदा	लच्छु हाँसदा	
15	आनन्द मुर्मू	लखाराम मुर्मू	आनन्द मुर्मू
16	संजय मुर्मू	बन धोने मुर्मू	संजय मुर्मू
17	बोमेशल मुर्मू	सीतू मुर्मू	
18	हेम लाल मुर्मू	धोने मुर्मू	हेमलाल मुर्मू
19	पुत्र ईश्वर	पुत्र ईश्वर	पुत्र ईश्वर
20	उदीमान हेम्ब्रम	बाबलु हेम्ब्रम	
21	लाल लोरेन	तुलु लोरेन	
22	दुमोचन राणा	बारलाच राणा	दुमोचन राणा
23	गोपी राणा	पेन्ना राणा	गोपी राणा

क्र.सं.	प्राप्त	प्रमाण	विवरण
24	स्वामीन शौरन	स्वामीन शौरन	स्वामीन
25	स्वामीन शौरन	स्वामीन शौरन	स्वामीन
26	स्वामीन शौरन	स्वामीन शौरन	स्वामीन
27	स्वामीन शौरन	स्वामीन शौरन	स्वामीन
28	स्वामीन शौरन	स्वामीन शौरन	स्वामीन
29	स्वामीन शौरन	स्वामीन शौरन	स्वामीन
30	स्वामीन शौरन	स्वामीन शौरन	स्वामीन
31	स्वामीन शौरन	स्वामीन शौरन	स्वामीन
32	स्वामीन शौरन	स्वामीन शौरन	स्वामीन
33	स्वामीन शौरन	स्वामीन शौरन	स्वामीन
34	स्वामीन शौरन	स्वामीन शौरन	स्वामीन
35	स्वामीन शौरन	स्वामीन शौरन	स्वामीन
36	स्वामीन शौरन	स्वामीन शौरन	स्वामीन
37			
38			

मिथीचन दंडा

प्रधान

ग्राम - दंडा

पिन कोड - 1

ग्रामसभा/ आमसभा अनापत्ति प्रमाण पत्र

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 220KV गोविन्दपुर दुमका पारेषण लाइन निर्माण के लिये वनाधिकार अधिनियम-2006 के अंतर्गत आज दिनांक 20.12.2016 ग्राम डांडोडुमरिया प्रखण्ड जामा दुमका जिला झारखण्ड में ग्रामवासियों की एक सभा आयोजित की गयी, जिसमें पावरग्रिड के द्वारा 220KV गोविन्दपुर दुमका पारेषण लाइन निर्माण से सम्बंधित विस्तृत रूप से चर्चा की गई। चर्चा की विवरणी निम्नवत है:-

1. वन भूमि अप योजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्याख्यायित कर दी गयी है।
2. ग्राम सभा में यह बात सुनिश्चित किया गया कि वन भूमि अप योजन के प्रस्ताव के संबंध में की गयी चर्चा एवं लिये गये निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम 50% सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
3. ग्राम सभा में इस बात की पुष्टि की गयी कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3(2) (e) के अनुसार, विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
4. ग्राम सभा में इस बात की पुष्टि की गयी कि सरकार के द्वारा दिये जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वन भूमि अप योजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (e) की धारा- 3(2) (e) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गयी है।

ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पावरग्रिड के द्वारा 220KV गोविन्दपुर दुमका पारेषण लाइन निर्माण के लिये डांडोडुमरिया प्रखण्ड नं-27 मौजा (प्लॉट संख्या 424 के क्षेत्रफल 0.2495 हे० तथा 426 प्लॉट नं० के क्षेत्रफल 0.1871 हे०) (कुल क्षेत्रफल = 0.2495 + 0.1871 = 0.4366 हे०) जंगल-जाड़ी का 0.4366 हेक्टेयर वन भूमि अपयोजन के लिये अनुशंसा की गई एवं इसकी पुष्टि की गई कि वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत उक्त भूमि पर किसी का दावा नहीं है।

ग्रामवासियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया कि इस परियोजना के निर्माण से किसी का विस्थापन नहीं हो रहा है और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

सेवा में

श्री मातृ कचल कचलानी जामा

विषय: माता दलदली में दलमिश्रण लाइन हेतु जंगल मांडी एवं
97 ग्राम का आगति प्रमाणपत्र हेतु जाम लमा की प्रति
उपलब्ध करने के सम्बन्ध में।

प्रश्न: जाम लमा दली कुमल का पत्रांक 1206 दिनांक 27/8-016

महोदय

माता दलदली गाँव दाल 10 560 एकड़ 0.4066 का
अनापति प्रमाण पत्र के लिए जाम प्रमाण एवं 16 का
प्रमाण को कुलाते को जाम प्रमाण प्रमाणपत्र को
जाम लेखन जमीन 16 का प्रमाण प्रमाण जाम लमा
करने से इनकार का दिया एक मी प्रमाण उपलब्ध
नहीं हुवे जाम प्रमाण को करने पर आक्रोशित हो
जाम कि हमलोग जाम लमा में जाम नहीं लेगे
में दो दिन जाम लेखन 16 का प्रमाण प्रमाण का आक्रोश
अपर अधिका हो जाम उपलब्ध जाम लमा नहीं हो
सक जमीन को कदना भा कि जिस वक्त पावर
गिड का रक्षा जाम लमा हमलोगों को लमा जाम
कि जाम लमा के परिवार ले मारुदार एवं आक्रोशित
एवं छिजलनी मिट्टी में जाम लमा के परिवार ले
प्रमाणपत्र लाइन को जाम में लिखा जाएगा अक्रोशित
में मेरे जाम के एक मी प्रमाण को पावर गिड में नहीं
लिखा जाम है इस लिए जाम लमा के जाम लमा
हुवना हम लमा जाम लमा नहीं करेंगे।
कल: आवश्यक कार्य लाइन हेतु प्रमाणपत्र

समर्थन।

जाम लमा
27/8/16

विशाल माता
27/8/16
जाम
8/11/2016

मौजों में

अंशुल अधिकारी
जाला

विषय:- हुसका जिला में जोगिन्दपुर-हुसका संरक्षित
लाइन हेतु जंगल-झाड़ी एवं वन भूमि का
आनापसी तथा गाय मसा करने के संबंध में।

प्रमाण:- अवर मसाहीना (हुसका) के पत्रांक 1206
दिनांक 27.08.16

24/8/2017

उपरोक्त विवरण के संबंध में कहना है
कि विवरण में पड़े वाले जंगल-झाड़ी
एवं वन भूमि हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006
के अनुसार गाय मसा करा लिया गया है जिसका
विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	मौजा का नाम	पट्टा नं.	लॉट नं.	खता/मं.	प्रस्तावित खसम जंगल/वन भूमि	प्रस्तावित अधिकृत खसम (रु.)
1.	विजयबाग	40	491/P 531/P	35 36	0.1871 —	— 0.0882
2.	हुसका/श्री उम कुमारी	41	22/P	40	0.63/5	—
3.	हौलपुर	34	105/P	—	—	0.0242
4.	बावलो	11	4/P 54	40 40	0.4759 0.14	— —

मौजा हौलपुर में पिरागी होने की
वृत्ति में इस मौजा में गाय मसा नहीं होने के कारण
इसकी पट्टी-मौजा हौलपुर में किया गया और मौजा
हौलपुर के क्षेत्र जोगिन्दपुर में निवास करते हैं

①	चन्द्रशेखर हाँसदा	पिता-लुखिराम हाँसदा:	चन्द्रशेखर हाँसदा
②	सिंगराय हेम्रम	पिता-लुखिराम हेम्रम	टिप [redacted] सिंगराय हेम्रम
③	बालक हाँसदा	स्व. रंगटा हाँसदा:	बालक हाँसदा
④	राहुल बास्की	पिता-हरवान बास्की	राहुल बास्की
⑤	लोकान हेम्रम	पिता-लुखिराम हेम्रम	[redacted] लोकान हेम्रम
⑥	सोनालाल हेम्रम	पिता-स्वप्न हेम्रम	सोनालाल हेम्रम
⑦	पगान मराठी	स्वपिरु मराठी	टिप [redacted] पगान मराठी
⑧	सुनील बास्की	स्व. शवण बास्की	सुनील बास्की
⑨	मिस्त्री बास्की	स्व. जैलहा बास्की	सुनील बास्की
⑩	विनय हेम्रम	स्व. वागान हेम्रम	विनय हेम्रम
⑪	सरोही हाँसदा	पति-स्व. बाबुराम मराठी	टिप [redacted] सरोही हाँसदा
⑫	मसन बास्की	पिता-स्व. गोसाई बास्की	मसन बास्की
⑬	राखीसाल बास्की	पिता-स्व. रामजीवन बास्की	राखीसाल बास्की
⑭	बालेश्वर बास्की	स्व. बाबुराम बास्की	बालेश्वर बास्की
⑮	पिन्टु बास्की	स्व. फुलान बास्की	पिन्टु बास्की
⑯	नीबूलाल मुर्मू	स्व. चुचु मुर्मू	नीबूलाल मुर्मू
⑰	प्रमोद कुं बास्की	पिता-रामजीत बास्की	प्रमोद कुं बास्की
⑱	संजय कुं बास्की	पिता-रामजीत बास्की	संजय कुं बास्की
⑲	दिनीशाल बास्की	पिता-स्व. मुचया बास्की	टिप [redacted] दिनीशाल बास्की
⑳	जैठा बास्की	पिता-स्व. शिवलाल बास्की	टिप [redacted] जैठा बास्की
㉑	पौतोच बास्की	पिता-स्व. मुचया बास्की	टिप [redacted] पौतोच बास्की
㉒	गोविन्द बास्की	पिता-स्व. धन बास्की	टिप [redacted] गोविन्द बास्की
㉓	सोमनाथ मुर्मू	पिता-स्व. लुविन मुर्मू	सोमनाथ मुर्मू

क्रमांक	नाम	पिता-पति का नाम	सम्बन्ध
(24)	चाँदो वास्की	पिता-स्व. शिखलाल वास्की	चाँदो वास्की
(25)	मातावान वास्की	स्व. सैरमा वास्की	मातावान वास्की
(26)	विनोद वास्की	पिता-शिखलाल वास्की	विनोद वास्की
(27)	मुनि ईश्वर पति-होठो वास्की		मुनि ईश्वर पति-होठो वास्की
(28)	महादेव मराण्डा	पिता-पागल मराण्डा	महादेव मराण्डा
(29)	सनादी सौरन	पति-सुखिराम होथला	सनादी सौरन
(30)	दिवाणा डूडू	पति-लुखिराम होथला	दिवाणा डूडू
(31)	कुँची ईश्वर पति-खन्डका सौरन		कुँची ईश्वर पति-खन्डका सौरन
(32)	कालेखर सौरन	पिता-स्व. बड़का सौरन	कालेखर सौरन
(33)	पूला मुनी मूर्मु	पति-स्व. रासका वास्की	पूला मुनी मूर्मु

पञ्चमः प्रश्नः
ग्राम प्रधान
राजव ग्राम चांदो इपरिया
जामा, दुमका

ग्रामसभा / आमसभा अनापत्ति प्रमाण - फ

पवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 220KV गोविन्दपुर - दुमका पावरलाइन निर्माण के लिए पनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत आजा दिनांक 5/11/06 को ग्राम - दलदली नाना नं - 30, सरकारी सर्किल - सफावहाड़ी प्रखण्ड - जामा जिला - दुमका (आर००३) में ग्रामवासियों के साथ ग्राम-सभा आयोजित किया गया।

ग्राम सभा में पवरग्रिड द्वारा 220KV गोविन्दपुर - दुमका पावरलाइन निर्माण के लिए मौजा दलदली नाना नं - 30 के प्लॉट नं - 560/P जंगल-साड़ी भूमि के अंश रकबा 0.4066 हे भूमि के अपभोजन के लिए तथा अनुमति देते पनाधिकार अधिनियम 2006 के आलोक में चर्चा की गई।

चर्चा के दौरान ही ग्रामियों द्वारा ग्राम-सभा में सरकारी अधिकारियों के विरोध किया गया तथा विरोधस्वरूप ग्रामियों ने ग्राम-सभा पत्र में हस्ताक्षर करने से भी अस्वीकार कर दिया। जिससे ग्राम-सभा की कार्यवाही पत्र में ग्रामियों का हस्ताक्षर नहीं हो सका।

ग्रामसभा
5/11/06
ymin

21/06
5/11/06

ਉਨ੍ਹੇਂ ਨਾਮਿਤਾਨ ਲਾਡਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
 ਨਾਮਿਤਾਨ ਹੇਠ ਫੋਰਮ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅਨੁ. F.R. ਨਾਮ ਆਗਾਹੀ ਹੇਠ ਮਨੀ
 ਗਈ, ਜੀ ਹਾਮਿ ਮਨਾ ਜੀ ਉਨ ਪਰਿ ਅਗੇਰ
 ਆਪਣੀ ਹੇਠ ਮਨਪਿਨ)

ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ
 14-10-03

ਜੇ ਅਨੁ. ਨਾਮਿਤਾਨ ਲਾਡਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ
 ਨਾਮਿਤਾਨ ਹੇਠ ਫੋਰਮ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
 ਅਨੁ. F.R. ਨਾਮ ਆਗਾਹੀ ਹੇਠ ਮਨੀ
 ਗਈ, ਜੀ ਹਾਮਿ ਮਨਾ ਜੀ ਉਨ ਪਰਿ ਅਗੇਰ
 ਆਪਣੀ ਹੇਠ ਮਨਪਿਨ)

ਨਾਮਿਤਾਨ	ਲਾਡਨ	ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ	ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਨਾਮਿਤਾਨ	ਲਾਡਨ	ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ	ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਨਾਮਿਤਾਨ	ਲਾਡਨ	ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ	ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਨਾਮਿਤਾਨ	ਲਾਡਨ	ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ	ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਨਾਮਿਤਾਨ	ਲਾਡਨ	ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ	ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਨਾਮਿਤਾਨ	ਲਾਡਨ	ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ	ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਨਾਮਿਤਾਨ	ਲਾਡਨ	ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ	ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਨਾਮਿਤਾਨ	ਲਾਡਨ	ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ	ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਨਾਮਿਤਾਨ	ਲਾਡਨ	ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ	ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਨਾਮਿਤਾਨ	ਲਾਡਨ	ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ	ਅਨੁਸੂਚਿਤ

ਜੇ ਅਨੁ. ਨਾਮਿਤਾਨ ਲਾਡਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ
 ਨਾਮਿਤਾਨ ਹੇਠ ਫੋਰਮ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
 ਅਨੁ. F.R. ਨਾਮ ਆਗਾਹੀ ਹੇਠ ਮਨੀ
 ਗਈ, ਜੀ ਹਾਮਿ ਮਨਾ ਜੀ ਉਨ ਪਰਿ ਅਗੇਰ
 ਆਪਣੀ ਹੇਠ ਮਨਪਿਨ)

ग्राम सभा / आम सभा अनायास प्रमाण - न

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा **गौविन्दपुर झुमका ड्राइविंग लाइन** निर्माण के लिये वनाधिकार अधिनियम-2006 के अंतर्गत आज दिनांक **28/9/16** ग्राम **वि. जम. 531/1** प्रखण्ड **जमाल** जिला **दुमका झारखंड** में ग्रामवासियों की एक सभा आयोजित की गयी, जिसमें पावरग्रिड के द्वारा निर्माण से सम्बंधित विस्तृत रूप से चर्चा की गई। चर्चा की विवरणी निम्न तः-

1. वन भूमि अप योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती भाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्याख्यायित कर दी गयी है।
2. ग्राम सभा में यह बात सुनिश्चित किया गया कि वन भूमि अप योजना के प्रस्ताव के संबंध में की गयी चर्चा एवं लिये गये निर्णय के संग्रह ग्राम सभा के न्यूनतम 50% सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
3. ग्राम सभा में इस बात की पुष्टि की गयी कि आदिम जनजाति सहू एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3(2) (e) के अनुसार, विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
4. ग्राम सभा में इस बात की पुष्टि की गयी कि सरकार के द्वारा दिये जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वन भूमि अप योजना का प्रस्ताव (यदि कोई भी) के संबंध में वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (e) की धारा-3(2) (e) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गयी है।

ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पावरग्रिड के द्वारा **गौविन्दपुर झुमका ड्राइविंग लाइन** निर्माण के लिये **वि. जम. 531/1** गौजा (प्लॉट संख्या)

Plot No. 491/1 में 0.1871 (H) जंगल भूमि

Plot No. 531/1 में 0.0882 (H) notified forest

का 0.2753 हेक्टेयर वन भूमि अपयोजन के लिये अनुमति की गई एवं इसकी पुष्टि की गई कि वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत उक्त भूमि पर किसी का दावा नहीं है।

ग्रामवासियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया कि इस परियोजना के निर्माण से निवासों का विश्र्वास नहीं हो रहा है जो अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत settlement जंगल

मुख्य चर्चा में उक्त
अध्यक्ष / अध्यक्ष
श्री प्रधान
श्री - विजयचंद, श्री - कल्याण

ਸੰਖਿਆ	ਨਾਮ	ਧਿਆਨਪਾਤਿ ਜਾਂ ਨਾਮ	ਹਸਤਾਖਰ
1.	ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਖੀ	ਏਨ. ਕਾਨ੍ਹ ਮੁਖੀ	ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਖੀ
2.	ਦੀਰੋਜ ਮੁਖੀ	ਸ਼੍ਰੀ. ਸ਼ਿਵ ਮੁਖੀ	ਦੀਰੋਜ ਮੁਖੀ
3.	ਲੁਕੀ ਰਾਮ ਮੁਖੀ	ਏਨ. ਗੁਪਤ ਮੁਖੀ	ਲੁਕੀ ਰਾਮ ਮੁਖੀ
4.	ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਖੀ	ਏਨ. ਕਾਨ੍ਹ ਮੁਖੀ	ਜਾਪ ਕੀ 2012 ਮੁਖੀ
5.	ਮਧੁ ਮਾਨ ਮੁਖੀ	ਏਨ. ਜਤੁ ਮੁਖੀ	ਮਧੁ ਮਾਨ ਮੁਖੀ
6.	ਦੇਵੀ ਮਾਨ ਮੁਖੀ	ਏਨ. ਸ਼ਿਵ ਮੁਖੀ	ਦੇਵੀ ਮਾਨ ਮੁਖੀ
7.	ਮਾਨਤ ਮੁਖੀ	ਏਨ. ਦੋਰੋ ਮੁਖੀ	ਮਾਨਤ ਮੁਖੀ
8.	ਰਵਿਧਨ ਮੁਖੀ	20 ਮੁੰਡੀ ਮੁਖੀ	ਰਵਿਧਨ ਮੁਖੀ
9.	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ	ਮਿਹਧਨ ਮੁਖੀ	ਮਾਨਤ ਮੁਖੀ
10.	ਦੀਰੋਜ ਮੁਖੀ	ਏਨ. ਕਾਨ੍ਹ ਮੁਖੀ	ਦੀਰੋਜ ਮੁਖੀ
11.	ਮੁੰਡੀ ਮੁਖੀ	ਏਨ. ਗੁਪਤ ਮੁਖੀ	ਮੁੰਡੀ ਮੁਖੀ
12.	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ	ਏਨ. ਕਾਨ੍ਹ ਮੁਖੀ	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ
13.	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ	ਏਨ. ਕਾਨ੍ਹ ਮੁਖੀ	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ
14.	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ	ਏਨ. ਕਾਨ੍ਹ ਮੁਖੀ	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ
15.	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ	ਏਨ. ਕਾਨ੍ਹ ਮੁਖੀ	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ
16.	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ	ਏਨ. ਕਾਨ੍ਹ ਮੁਖੀ	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ
17.	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ	ਏਨ. ਕਾਨ੍ਹ ਮੁਖੀ	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ
18.	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ	ਏਨ. ਕਾਨ੍ਹ ਮੁਖੀ	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ
19.	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ	ਏਨ. ਕਾਨ੍ਹ ਮੁਖੀ	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ
20.	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ	ਏਨ. ਕਾਨ੍ਹ ਮੁਖੀ	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ
21.	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ	ਏਨ. ਕਾਨ੍ਹ ਮੁਖੀ	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ
22.	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ	ਏਨ. ਕਾਨ੍ਹ ਮੁਖੀ	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ
23.	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ	ਏਨ. ਕਾਨ੍ਹ ਮੁਖੀ	ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਵ ਮੁਖੀ

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	हस्ताक्षर
24	गुनिवास झाँझ	एन काठीरा झाँझ	गुनीराम झाँझ
25	हुनन मिहिर	एन राधा गिरिधर	रामलक्ष्मी
26	राजेश्वर मुखी	एन गुरुनाथ मुखी	राजेश्वर मुखी
27	दीन मुखी मुखी	गोरे एन रामेश्वर ठाकुर	दीन मुखी मुखी
28	मानसिंह मंडी	एन राजु मंडी	मानसिंह मंडी
29	अजीश शर्मा वैद्य	एन गुरुनाथ वैद्य	अजीश वैद्य
30	जगन् मंडल	एन रामेश्वर मंडल	जगन् मंडल
31	दीनशंकर मंडी	एन काठे मंडी	दीनशंकर मंडी
32	हुनन मंडी	एन गुरु मंडी	हुनन मंडी

ग्रामसभा/ आमसभा अनापत्ति प्रमाण पत्र

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा डी. विन्डपुर (उमरगा) ए/म. वि. लाइन निर्माण के लिये वनाधिकार अधिनियम-2006 के अंतर्गत आज दिनांक 28.09.16 ग्राम डुलखण्ड जिला झारखण्ड में ग्रामवासियों की एक सभा आयोजित की गयी, जिसमें पावरग्रिड के द्वारा डी. विन्डपुर (उमरगा) ए/म. वि. लाइन निर्माण से सम्बंधित विस्तृत रूप में चर्चा की गई। चर्चा की विवरणी निम्नवत है:-

1. वन भूमि अप योजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्याख्यायित कर दी गयी है।
2. ग्राम सभा में यह बात सुनिश्चित किया गया कि वन भूमि अप योजन के प्रस्ताव के संबंध में की गयी चर्चा एवं लिये गये निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम 50% सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
3. ग्राम सभा में इस बात की पुष्टि की गयी कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3(2) (e) के अनुसार, विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
4. ग्राम सभा में इस बात की पुष्टि की गयी कि सरकार के द्वारा दिये जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वन भूमि अप योजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (e) की धारा- 3(2) (e) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गयी है।

ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पावरग्रिड के द्वारा डी. विन्डपुर (उमरगा) ए/म. वि. लाइन निर्माण के लिये प्लॉट नं. 22/P से 0.6315 हेक्टेयर वन भूमि (प्लॉट संख्या 9101 x 10 - 22/P से 0.6315 हेक्टेयर वन भूमि) का 0.6315 हेक्टेयर वन भूमि अपयोजन के लिये अनुशंसा की गई एवं इसकी पुष्टि की गई कि वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत उक्त भूमि पर किसी का दावा नहीं है।

ग्रामवासियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया कि इस परियोजना के निर्माण से किसी का विस्थापन नहीं हो रहा है और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के नाम व हस्ताक्षर

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	हस्ताक्षर
1.	शिव कुमार ठुम्	स्व. दिवीजन ठुम्	शिव कुमार ठुम्
2.	बबुरा सोरेन	होपना सोरेन	बाबु सोरेन
	हेमो सील मुर्मू	अभिराम मुर्मू	हेमो सील मुर्मू
	सुशील ठुम्	जो विन्द ठुम्	 सुशील ठुम्
	समापति मराण्डी	जगन्मय सुन्दर मराण्डी	समापति मराण्डी
	सिकन्दर मुर्मू	स्व. लबीलाल मुर्मू	सिकन्दर मुर्मू
	मोती मराण्डी	रामे मराण्डी	मोती मराण्डी
	संदीप सोरेन	भनंत सोरेन	संदीप सोरेन
	परमे ठुम्	स्व. सीताराम मुर्मू	परमे ठुम्
	दिवीन मुर्मू	धन मुर्मू	दिवीन मुर्मू
	रतन मराण्डी	लजान मराण्डी	रतन मराण्डी
	होटेन सोल	स्व. बड़का सोल	होटेन सोल
	मकु होटेन	दिवीन मुर्मू	मकु होटेन
	जलेश सोरेन	स्व. बबन सोरेन	जलेश सोरेन
	मुनीराम सोरेन	मिजल सोरेन	मुनीराम सोरेन
	सुहागिनी होला	मन्दू मराण्डी	सुहागिनी होला
	विनी क	खारा क	 विनी क
	बबुरा फिकु	बाबुराम फिकु	बाबुरा फिकु
	अनिता हेमचन	हरा मराण्डी	अनिता हेमचन
	अंजली सोरेन	जोनीन ठुम्	अंजली सोरेन
	निबुलाम ठुम्	कमेश्वर ठुम्	निबुलाम ठुम्
	राज कुमार ठुम्	मगत ठुम्	राज कुमार ठुम्
	सनिता ठुम्	बाल हेमचन	सनिता ठुम्

२००७-०८
ग्राम प्रधान
मुख्यमंत्री
पंचायत - नवमार्ग

2. नि.
सुशील
ठुम्

2. नि.
विनी
क

पावरग्रिड कंस्ट्रक्शन आण्ड इंडिया लिमिटेड द्वारा 220 KV गोविन्दपुर - दुमका पावरलॉइन निर्माण के लिए वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत आग्रह - दोलतपुर, प्लॉट नं - 34 सरकारी सर्किल - फूलझारी प्रखण्ड - जामा जिला दुमका में ग्रामवासियों के साथ ग्राम सभा आयोजित कला ना।

चूंकि ग्राम सभा में पावरग्रिड द्वारा 220 KV गोविन्दपुर - दुमका पावरलॉइन निर्माण के लिए मौजा दोलतपुर, प्लॉट नं - 34 के प्लॉट नं - 105 P अधिसूचित वन क्षति के अपभोजन के तथा अनुरांसा हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के अलोक में चर्चा कला ना। परंतु ग्राम - दोलतपुर एक केचिरागी मौजा है और इस ग्राम में कोई ग्रामीण निवास नहीं करते हैं। ग्राम - दोलतपुर के स्थिति ग्राम - विरजपुर में निवास करते हैं और वहाँ के ग्रामियों को पावरलॉइन के निर्माण में कोई आवसी नहीं है।

अतः ग्राम - दोलतपुर, प्लॉट नं - 34 एक केचिरागी ग्राम होने के कारण ग्रामसभा की कार्यवाही नहीं की जा सक्ती।

अग्रसारित
04/11/16
यम

03.11.16
K.C.
अ.प.ल. अ.प.ल.प.
जा.प.

ग्रामसभा/ आमसभा अनापत्ति प्रमाण पत्र

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विद्युत लाइन परियोजना लाइन निर्माण के लिये वनाधिकार अधिनियम-2006 के अंतर्गत आज दिनांक 28-09-16 ग्राम पानौ प्रखण्ड जिला झारखण्ड में ग्रामवासियों की एक सभा आयोजित की गयी जिसमें पावरग्रिड के द्वारा परियोजना लाइन निर्माण से सम्बंधित विस्तृत रूप से चर्चा की गई। चर्चा की विवरणी निम्नवत है:-

1. वन भूमि अप योजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्याख्यायित कर दी गयी है।
2. ग्राम सभा में यह बात सुनिश्चित किया गया कि वन भूमि अप योजन के प्रस्ताव के संबंध में की गयी चर्चा एवं लिये गये निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम 50% सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
3. ग्राम सभा में इस बात की पुष्टि की गयी कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3(2) (e) के अनुसार, विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
4. ग्राम सभा में इस बात की पुष्टि की गयी कि सरकार के द्वारा दिये जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वन भूमि अप योजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (e) की धारा- 3(2) (e) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गयी है।

ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पावरग्रिड के द्वारा विद्युत लाइन परियोजना लाइन निर्माण के लिये मौजा पानौ (प्लॉट संख्या P101-140-5/P 0-4759 उंगल बाड़ी) P101-140-54 0-14 उंगल बाड़ी कोरम का 0-6/59 हेक्टेयर वन भूमि अपयोजन के लिये अनुशंसा की गई एवं इसकी पुष्टि की गई कि वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत उक्त भूमि पर किसी का दावा नहीं है।

ग्रामवासियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया कि इस परियोजना के निर्माण से किसी का विस्थापन नहीं हो रहा है और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

अरुण कुमार
ग्राम प्रधान सह अध्यक्ष
ग्राम- बानौ
पंचायत- पंचोदा, ग्राम

अरुण कुमार
अध्यक्ष

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के नाम व हस्ताक्षर

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	हस्ताक्षर
1.	इन्द्रदेव पुजहर	—	इन्द्रदेव पुजहर
2.	लक्ष्मण पुजहर	—	लक्ष्मण पुजहर
3.	कृष्ण पुजहर	—	कृष्ण पुजहर
4.	दीपक पुजहर	—	दीपक पुजहर
5.	प्रदीप कुमार मण्डल	—	Pradeep Kumar mandal
6.	संजय पुजहर	—	Sanjay Puja Har
7.	गणेश पुजहर	—	गणेश पुजहर
8.	अश्विनी पुजहर	—	अश्विनी पुजहर
9.	सुनिता पुजहर	—	सुनिता पुजहर
10.	श्री लीप पुजहर	—	श्री लीप पुजहर
11.	लक्ष्मण पुजहर	—	लक्ष्मण पुजहर
12.	शिवलाल पुजहर	—	शिवलाल पुजहर
13.	ममरु पुजहर	—	ममरु पुजहर
14.	सुरेश पुजहर	—	सुरेश पुजहर
15.	पूरा पुजहर	—	पूरा पुजहर

पुष्प 140
16/11/16

अंचल कार्यालय, मसलिया
पत्रांक 976/राठ

प्रेषक,
अंचल अधिकारी
मसलिया।

सेवा में,
अपर समाह्वी
डुमका
मसलिया, दिनांक: 16.11.16

विषय:- गोविन्दपुर डुमका ट्रांसमिशन लाईन हेतु
जंगल काटी रखे वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण
पत्र हेतु ग्राम-सभा की प्रति उपस्थित कराने
के संबंध में।

प्रस्ताव:- अवधीय पत्रांक 1206/राठ दिनांक 27.8.16

महोदय,
उपरोक्त विषयक प्रस्तावित पत्र के संबंध में
गोविन्दपुर डुमका ट्रांसमिशन लाईन हेतु जंगल-काटी
रखे वन भूमि का अनापत्ति हेतु ग्राम-सभा की प्रति
इस पत्र के साथ मूल रूप में संपन्न कर अतिरिक्त
हेतु भेजा जा रहा है।

रूपाया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुमोदन,
संचालक।

विकास आगन

अंचल अधिकारी
मसलिया (डुमका)
16/11/16

ग्रामसभा/ आमसभा अनापत्ति प्रमाण पत्र

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 220 KV गोविन्दपुर-दुमका पारेषण लाइन निर्माण के लिये वनाधिकार अधिनियम-2006 के अंतर्गत आज दिनांक...12/11/16 ग्रामधुरमुन्दी..... प्रखण्डमसलिया जिला दुमका झारखण्ड, में ग्रामवासियों की एक सभा आयोजित की गयी, जिसमें पावरग्रिड के द्वारा पारेषण लाइन निर्माण से सम्बंधित विस्तृत रूप से चर्चा की गई। चर्चा की विवरणी निम्नवत है:-

1. वन भूमि अप योजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्याख्यायित कर दी गयी है।
2. ग्राम सभा में यह बात सुनिश्चित किया गया कि वन भूमि अप योजन के प्रस्ताव के संबंध में की गयी चर्चा एवं लिये गये निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम 50% सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
3. ग्राम सभा में इस बात की पुष्टि की गयी कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3(2) (e) के अनुसार, विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
4. ग्राम सभा में इस बात की पुष्टि की गयी कि सरकार के द्वारा दिये जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वन भूमि अप योजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (e) की धारा- 3(2) (e) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गयी है।

ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पावरग्रिड के द्वारा 220 KV गोविन्दपुर-दुमका पारेषण लाइन निर्माण के लिये मौजा धुरमुन्दी (प्लॉट 222/1 (223) संख्याअधिसूचित वन भूमि 222/1 (223) प्लॉट नं.0.11/33..... हेक्टेयर वन भूमि अपयोजन के लिये अनुशंसा की गई एवं इसकी पुष्टि की गई कि वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत उक्त भूमि पर किसी का दावा नहीं है।

ग्रामवासियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया कि इस परियोजना के निर्माण से किसी का विस्थापन नहीं हो रहा है और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

प्रधान
ग्राम- धुरमुन्दी
पं० बड़ाडुमरिया
प्र० मसलिया, दुमका
12/11/16
ग्राम प्रधान
(धुरमुन्दी)

24/11/16
पंचायत समिति सदस्य
ग्राम पंचायत- बड़ा डुमरिया
प्र० मसलिया, जि० दुमका
12/11/16

8-0
12/11/16

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के नाम व हस्ताक्षर

क्रमांक	नाम -	पिता/पति का नाम	हस्ताक्षर
	महेन्द्र कुमार मेडल	स्व. हरिवाल मेडल	महेन्द्र कुमार मेडल
	गोरे चन्द्र महतो	स्व. ठाकुर महतो	गोरे चन्द्र महतो
	पन्त देव महतो	स्व. ठाकुर महतो	पन्त देव महतो
	जाला चौध मेडल	स्व. जीत मेडल	जाला चौध मेडल
	सहदेव महतो	स्व. ठाकुर महतो	सहदेव महतो
	पताप कुमार	मा. प्रीत महतो	पिताप कुमार
	श्री लखीराम मराठी	स्व. मंगल मराठी	श्री लखीराम मराठी
	श्रीनाथ महतो	स्व. लखन महतो	श्रीनाथ महतो
	ग. सिंद मेडल	स्व. जीत मेडल	ग. सिंद मेडल
	लखी महतो	स्व. सुभद्रा महतो	लखी महतो
	अमित कुमार	श्रीनाथ महतो	Amit Kumar
	तनूजा कुम मराठी	म. प्र. मराठी	Tanuja Kumar
	स. सुन्दर महतो	स्व. जगन्नाथ महतो	S. Sundar Mahato
	आशु नीष साहु	तुलसीदास साहु	Aashu Nish Sahu
	अरविन्द कुमार	मो. गीश्वर प्र. महतो	Arvind Kumar
	प्रभात कुमार	प्र. जीत महतो	Prabhat Kumar
	कठुपन मराठी	अ. निरमल मराठी	Kathupan Mahato
	निधु मराठी	बा. म. मराठी	Nidhu Mahato
	देवेंद्र पांडे	बा. म. पांडे	Devendra Pandey
	ग. उ. पा.	म. उ. पा.	G. U. Pa.
	कठुपन मराठी	ल. निरमल मराठी	Kathupan Mahato
	कुविन मराठी	ल. निरमल मराठी	Kuvin Mahato
	अ. पू. पांडे	ग. ल. पांडे	A. P. Pandey

मुकेश कुमार

- स्व. निरमल महतो

मुकेश कुमार

विप्रेषा मराठी

ल. निरमल मराठी

विप्रेषा मराठी

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के नाम व हस्ताक्षर

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	हस्ताक्षर
	नारस भराडी	लाल मंगल भराडी	का.रमा भराडी
	लक्ष्म भराडी	सुनु का भराडी	वी.नि. लक्ष्म भराडी
	बाबूजी साहू	"	बाबूजी साहू
	सुनिल भराडी	नरस भराडी -	सुनिल भराडी -
	लक्ष्म भराडी	लक्ष्म भराडी	लक्ष्म भराडी
	लोकेश्वर देवरा	लाल भराडी	लोकेश्वर देवरा
	शिवलाल उड्ड	जीवन उड्ड	शिवलाल उड्ड
	लोचन गीरी दौसरा	शिवलाल उड्ड	शिवलाल उड्ड
	प्रमलाता देवी	नरसलाल पाहड़िया	प्रमलाता देवी -
	लोना कुमारी देवरा	सनातन भराडी	लोना कुमारी देवरा
	मिना देवी	लाल पाहड़िया	मिना देवी -
	माला देवी साहू	लाल उड्ड -	माला देवी साहू
	पद्मिनी देवरा	शिव भराडी	पद्मिनी देवरा
	मिना कुमारी	माला भराडी	मिना कुमारी

लाल उड्ड
 12/11/65
 ग्राम सभा के सदस्यों
 पं. प्रमोद कुमार
 मसखिया, मुमका